ए.

अमरेंद्र कुमार पांडे बनाम

भारत और ओआरएस का संघ।

(2018 की सिविल अपील संख्या 11473-11474) 14 जुलाई, 2022

बी.

[सूर्या कान्ट और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानूनःसशस्त्र बल-सेवा से निर्वहन-अपीलार्थी को उसकी सेवा की अवधि के दौरान प्राप्त चार लाल-स्याही प्रविष्टियों के आधार पर सेवा से निर्वहन किया गया था-निर्वहन के आदेश को चुनौती देते हुए उसके द्वारा दायर लिखित याचिका-एकल न्यायाधीश ने बलवंत सिंह के फैसले पर भरोसा किया जिसमें चार लाल-स्याही प्रविष्टियां प्राप्त करने पर असम राइफल्स से निर्वहन के संबंध में इसी तरह का मुद्दा शामिल था-उस मामले में, यह अभिअपास्त करना किया गया था कि निर्वहन करने की शक्ति रखने वाले प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति की प्रतिक्रिया की जांच करनी चाहिए और दुराचार की गंभीरता को तौलना चाहिए जिसके कारण सेवा सूची में लाल-स्याही प्रविष्टियां हुईं; और यह कि निर्वहन का आदेश और इस तरह के निर्वहन से पहले की प्रक्रिया संक्षिप्त प्रकृति की है, यह आवश्यक है कि निर्वहन का आदेश बोलने वाला हो।जहां प्राधिकरण की राय के गठन के लिए कोई उचित आधार नहीं है, ऐसे मामले में न्यायिक समीक्षा की अनुमति है-यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि चार लाल स्याही प्रविष्टियों के पुरस्कार के लिए दुराचार की प्रकृति इतनी अस्वीकार्य थी कि सक्षम प्राधिकारी के पास बल में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए अपने निर्वहन का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था-इसलिए, पर्याप्त न्याय करने के लिए, निर्वहन के आदेश को अपास्त करना दिया जाता है और अपीलार्थी को उस समय तक सेवा में माना जाता है, यह कहा जा सकता है कि उसने पेंशन देने के लिए योग्यता सेवा पूरी कर ली है-असम राइफल्स अधिनियम, 1941-असम राइफल्स अधिनियम, 2006-असम राइफल्स विनियमन, 2016-शासन।107 और 108।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

223 ए.

224 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 12 एस. सी. आर.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** जहां किसी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए वैधानिक नियमों ने संबंधित प्राधिकारी की राय पर निर्भर किसी कार्रवाई को छोड़ दिया है, किसी ऐसी अभिव्यक्ति द्वारा कि 'संतुष्ट है' या 'राय की है' या 'यदि उसके पास विश्वास करने का कारण है' या 'यदि यह आवश्यक समझा जाता है', तो प्राधिकरण की राय निर्णायक है, **(**ए**)** यदि अधिनियम या राय बनाने के लिए नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया था, **(**बी**)** यदि प्राधिकरण ने ईमानदारी से काम किया, **(**सी**)** यदि प्राधिकरण ने स्वयं राय बनाई और किसी और की राय नहीं ली और **(**डी**)** यदि प्राधिकरण ने कानून और उस मामले के बारे में मौलिक गलत धारणा पर आगे नहीं बढ़ा, जिसके बारे में राय बनाई जानी थी। व्यक्तिपरक राय या संतुष्टि के आधार पर कार्रवाई की पहले न्यायिक रूप से समीक्षा की जा सकती है ताकि उन तथ्यों या परिस्थितियों के अस्तित्व का पता लगाया जा सके जिनके आधार पर प्राधिकरण ने राय बनाई है।यह सच है कि आम तौर पर न्यायालय को पाए गए तथ्यों की शुद्धता या अन्यथा की जांच नहीं करनी चाहिए, सिवाय उस मामले के जहां यह आरोप लगाया गया है कि जो तथ्य मौजूद पाए गए हैं, वे किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थे या परिस्थितियों या सामग्री के संबंध में निष्कर्ष इतना विकृत है कि कोई भी उचित व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि तथ्य और परिस्थितियां मौजूद हैं।अदालतें कानून या तथ्य के अस्तित्व के बारे में प्राधिकरण की राय की निर्णायकता को आसानी से टाल नहीं पाएंगी, जिस पर शक्ति के प्रयोग की वैधता की भविष्यवाणी की गई है।इस प्रकार तर्कसंगतता के सिद्धांत का आह्वान किया जा सकता है।जहां प्राधिकरण की राय के गठन के लिए कोई उचित आधार नहीं है, ऐसे मामले में न्यायिक समीक्षा की अनुमति है।**[**पैरा **28-30] [239-E-H; 240-A-C]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

2. जब यह न्यायालय कहता है कि जहां राय बनाने के लिए परिस्थितियां या सामग्री या स्थिति बिल्कुल भी मौजूद नहीं है और ऐसी राय पर आधारित कार्रवाई को अदालतों द्वारा रद्द किया जा सकता है, तो इस न्यायालय का मतलब है कि प्रभावी रूप से राय बनाने या समर्थन

करने के लिए कोई सबूत नहीं है।साक्ष्य की अपर्याप्तता या अपर्याप्तता और किसी भी साक्ष्य के बीच के अंतर को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।बिना किसी साक्ष्य के आधार पर एक निष्कर्ष जो केवल साक्ष्य के भार के खिलाफ है, उस शक्ति का दुरुपयोग है जिसे अदालतें स्वाभाविक रूप से बर्दाश्त करने के लिए अनिच्छुक हैं।ए का समर्थन करने के लिए सबूत है या नहीं

जी.

एच.

225

अमरेंद्र कुमार पांडे बनाम भारत और हमारा संघ।

विशेष निर्णय को हमेशा कानून का प्रश्न माना गया है।दूसरा, न्यायालय यह जांच कर सकता है कि क्या इस प्रकार पाए गए तथ्यों और परिस्थितियों का उस उद्देश्य के साथ उचित संबंध है जिसके लिए शक्ति का प्रयोग किया जाना है।दूसरे शब्दों में, यदि तथ्यों से कोई निष्कर्ष तार्किक रूप से सहमत नहीं है और उनसे प्रवाहित नहीं होता है, तो अदालतें उन्हें कानून की त्रुटि के रूप में मानते हुए हस्तक्षेप कर सकती हैं।इस प्रकार, यह न्यायालय यह देख सकता है कि क्या पाए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, कोई भी उचित व्यक्ति यह कह सकता है कि जो राय बनाई गई है वह एक उचित व्यक्ति द्वारा बनाई जा सकती है।यह न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाने वाला कानून का सवाल होगा।तीसरा, यह न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है यदि शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक संवैधानिक या वैधानिक शब्द का या तो गलत उपयोग किया गया है या गलत व्याख्या की गई है।अदालतों ने हमेशा अधिकार क्षेत्र की समीक्षा को कानून की त्रुटि के लिए समीक्षा के साथ तुलना की है और संवैधानिक या वैधानिक शब्द के अर्थ को गलत तरीके से समझने या गलत तरीके से लागू करने पर किसी आदेश को रद्द करने के लिए अपनी तैयारी दिखाई है।चौथा, ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति है जहां अनुचित उद्देश्य के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है।यदि एक उद्देश्य के लिए दी गई शक्ति का प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि शक्ति का वैध रूप से प्रयोग नहीं किया गया है।यदि इस मामले में शक्ति का उपयोग वास्तव में तत्काल कार्रवाई करने के उद्देश्य से नहीं किया गया है, लेकिन इसका उपयोग केवल शर्मिंदगी से बचने या व्यक्तिगत प्रतिशोध को नष्ट करने के लिए किया गया है, तो शक्ति का अनुचित तरीके से प्रयोग किया गया माना जाएगा।पाँचवाँ, वे आधार जो उस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं जिसके लिए शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, उन पर विचार नहीं किया गया है या ऐसे आधार जो प्रासंगिक नहीं हैं और अभी तक विचार किया जाता है और एक आदेश ऐसे आधारों पर आधारित है, तो आदेश को अमान्य और अवैध के रूप में हमला किया जा सकता है।**[**पैरा **31,34-37] [240-D-E, H; 241-A-B, D-G]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

3. न्याय के उद्देश्य से अपीलार्थी के खिलाफ कथित कदाचार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए**,** आरोपमुक्त करने के आदेश को अपास्त करना दिया जाता है और अपीलार्थी को उस समय तक सेवा में माना जाता है जब तक कि उसने पेंशन देने के लिए योग्यता सेवा पूरी नहीं की थी।इस तरह का आदेश पर्याप्त न्याय करने की दृष्टि से पारित किया जाता है क्योंकि रिकॉर्ड में यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि चार लाल स्याही प्रविष्टियों के पुरस्कार के लिए दुराचार की प्रकृति इतनी अस्वीकार्य थी कि सक्षम प्राधिकारी के पास बल में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए अपने निर्वहन का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।**[**पैरा **39] [244-**एफ**]**

जी.

एच.

226 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 12 एस. सी. आर.

ए.

राम मनोहर बनाम बिहार राज्य ए**.** आई**.** आर **1966** एस**.** सी**. 740:[1966] 1** एस**.** सी**.** आर**. 709;** द्वारका दास बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य **1957** एस**.** सी**. 164;** मोतीलाल बनाम बिहार राज्य ए**.** आई**.** आर**. 1968**

एससी 1509:[1968] 3 एस. सी. आर. 587; विरेंद्र कुमार दुबे

v. सेनाध्यक्ष और अन्य। **(2016) 2** एससीसी **627:[2015] 10** एस**.** सी**.** आर**. 1013;** विजय शंकर मिश्रा बनाम भारत संघ

बी.

और ओआरएस। (2017) 1 एससीसी 795:[2016] 12 एस. सी. आर. 200; रासबिहारी बनाम उड़ीसा राज्य ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 1081:[1969]

3 एस**.** सी**.** आर**. 374;** रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम**.**एस**.** डी**.** अग्रवाल और

एक और ए. आई. आर 1969 एस. सी. 707:[1969] 3 एससीआर 108; बेरियम

केमिकल्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम कंपनी लॉ बोर्ड और

अन्य ए. आई. आर 1967 एस. सी. 295:[1966] पूरक।एस. सी. आर. 311-पर निर्भर।

सी.

भारत संघ बनाम बलवंत सिंह **(2015) 14** एस**.** सी**.** सी**. 389 -**

संदर्भित किया गया।

सतगुर सिंह बनाम यू**.** ओ**.** आई**.** और अन्य। **(2019) 9** एससीसी **205:[2019]**

डी.

11 एस**.** सी**.** आर**. 1023-**लागू नहीं होता है।

लोक अभियोजन निदेशक बनाम प्रमुख **(1959)** एसी **83;** रेग**.** वी**.**ब्रिक्स्टन जेल के गवर्नर**,** अरमाह**,** एक्स पार्टी **(1966) 3** डब्ल्यू**.** एल**.** आर**. 828;** बीन बनाम डोनकास्टर

कोलियरीज (1944) 2 सभी ई. आर. 279; किसान बनाम कपास

ई.

न्यासी, 1915 ए. सी. 922; इवेघ (अर्ल ऑफ) बनाम आवास और स्थानीय सरकार मंत्री। (1962) 2 क्यू. बी. 147; इवेघ (अर्ल ऑफ) बनाम आवास और स्थानीय सरकार मंत्री। (1964)

1 एबी **395-**संदर्भित।

मुथु गौंडर बनाम मद्रास सरकार **(1969) 82** मैड एल**.** डब्ल्यू **1;** नटेसा असारी बनाम मद्रास राज्य ए**.** आई**.** आर**. 1954**

एफ.

मैड **481-**संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

[2015] 10 एससीआर **1013**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **13**

[2016] 12 एससीआर **200**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **13 (2015) 14** एस**.** सी**.** सी**. 389** पैरा **18 [2019] 11** एस**.** सी**.** आर**. 1023** लागू नहीं होने योग्य पैरा **19 [1969] 3** एस**.** सी**.** आर**. 374** पर निर्भर था

जी.

पैरा **32** ए

एच.

227

अमरेंद्र कुमार पांडे बनाम भारत और हमारा संघ।

[1969] 3 एससीआर **108**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **33**

[1966] पूरक।एससीआर **311**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **33**

[1966] 1 एससीआर **709**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **37**

[1968] 3 एससीआर **587**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **37**

बी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2018 की सिविल अपील संख्या 11473-11474।

2017 के डब्ल्यू. ए. सं. 354 और 2016 के डब्ल्यू. ए. सं. 399 में गुवाहाटी में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 और <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

सी.

मेहूल एम. गुप्ता, आर. पी. गुप्ता, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

सुश्री मंजुला गुप्ता, शरत नारायण नांबियार, वी. बालाजी, शैलेश मडियाल, अरविंद कुमार शर्मा, बी. वी. बलराम दास, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. ये अपीलें, विशेष अनुमति द्वारा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा 2017 की रिट अपील संख्या 354 में पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने भारत संघ और अन्य द्वारा दायर अपील को अनुमति दी, जिससे अपीलार्थी द्वारा दायर 2004 की रिट याचिका (सी) 2783 में उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 2 पर पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया।

ई.

2. इस अपील को जन्म देने वाले तथ्यों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:(i) इसमें अपीलार्थी (मूल रिट याचिकाकर्ता) वर्ष 1993 में राइफलमैन के रूप में असम राइफल्स में शामिल हुआ था।जब वे सेवा में थे, उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफग कमांडर द्वारा पारित 31.01.2004 के आदेश के अनुसार छुट्टी दे दी गई।

एफ.

((ii) ऊपर निर्दिष्ट निर्वहन का क्रम इस प्रकार है:कमांडेंट का कार्यालय 24 असम राइफल्स, सी/ओ 99 एपीओ

जी.

आदेश

2401637/एकेपी/2004

DATED 31.01.2004

एच.

228

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

ए.

1. जहाँ तक यह माना जाता है कि सं. 2401637 डब्ल्यू आर. एफ. एन./जी. डी. अमरेंद्र कुमार पांडे के आचरण, जिसके कारण उन्हें चार लाल स्याही प्रविष्टियाँ मिली हैं, ऐसा है कि लोक सेवा में उनके आगे बने रहने को एक अक्षम्य अपराधी होने और अपनी सेवा के दौरान कोई सुधार नहीं दिखाने के कारण अवांछनीय बना देता है।

2. और जहां 2401637 डब्ल्यू आर. एफ. एन./जी. डी. अमरंद्र कुमार पांडे को 24 ए. आर. पत्र संख्या 11014/ए 36-2003/635 डी. टी. के माध्यम से प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने का अवसर दिया गया था।02 सितम्बर, 2003।

बी.

3. और जहां संख्या 2401637 डब्ल्यू आर. एफ. एन./जी. डी. अमरंद्र कुमार पांडे ने पत्र संख्या के माध्यम से अपना जवाब प्रस्तुत किया। नील दिनांक 1.Oct.2003. इसी पर आरओआई 4/99 के संदर्भ में विचार किया गया था और सक्षम प्राधिकारी द्वारा असंतोषजनक पाया गया था।

सी.

4. अब जहाँ ए. आर. अधिनियम 1941 की धारा 4 (ए) सहपठित पैरा 24, ए. आर. नियमावली के अध्याय 8 और आर. ओ. आई. के पैरा 6 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति 31 जनवरी, 2004 (दोपहर) से असम राइफल्स से उक्त आर. एफ. एन./जी. डी. अमरेंद्र कुमार पांडे को असंशोधनीय अपराधी सैनिक होने के कारण निर्वहन करता है। आर. एफ. एन./जी. डी. अमरंद्र कुमार पांडे नियम के तहत स्वीकार्य पेंशन और ग्रेच्युटी प्राप्त करने के हकदार हैं।

डी.

ई.

एस/डी

(संतोष जोसेफ)

लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफग कमांडर 3.इस प्रकार, निर्वहन का उपरोक्त आदेश उनकी सेवा अवधि के दौरान उन्हें प्राप्त चार लाल-स्याही प्रविष्टियों के आधार पर पारित किया गया था।चार लाल-स्याही प्रविष्टियाँ निम्नलिखित आधारों पर थींः

एफ.

प्रविष्टि 1 (1996)

अपनी बीमार माँ की देखभाल करने के लिए वापस रहने के लिए-'बिना

रहने के लिए पर्याप्त कारण

छुट्टी दी गई '।वेतन में कटौती के साथ 14 दिनों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

जी.

प्रविष्टि 2 (1998)

फोन करने के लिए बाहर जाने के लिए, लेकिन परिसर छोड़ने से पहले ही रुक गया-ए

एच.

229

अमरेंद्र कुमार पांडे बनाम भारत और हमारा संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

“अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के बिना इकाई बी. आर. ओ. भाग I सेवा संख्या 202 दिनांक 30 अगस्त 96 में निर्दिष्ट सीमा से बाहर के क्षेत्रों का दौरा किया।सजा सुनाई गई

28 कठोर हिरासत के दिन और सैन्य हिरासत के 14 दिन।

बी.

प्रविष्टि 3 (1999)

घर से वापस आते समय अपना सामान खोने के लिए-"खो गया"

उसके लिए जारी की गई सरकार की संपत्ति की उपेक्षा करके उसका पहचान पत्र मशीन संख्या 078550

सी.

उसका उपयोग "।ए. आर. हिरासत में 28 दिनों के सश्रम कारावास और 14 दिनों के निरोध की सजा सुनाई गई।

डी.

प्रविष्टि 4 (2004)

अकेले ताश खेलने के लिए

स्वयं-'इकाई के स्थायी आदेशों का पालन करने के लिए और जुआ खेलते हुए पाया गया

इकाई पंक्ति में '।28 दिन के सश्रम कारावास और 14 दिन के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

ई.

4. अपीलार्थी ने 2002 की रिट याचिका (सी) संख्या 2738 दाखिल करके गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष आरोपमुक्त करने के आदेश को चुनौती दी।अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों से यह प्रतीत होता है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका का निर्णय दो समान रूप से स्थित राइफलमैन की दो अन्य समान याचिकाओं के साथ विद्वान और एक सामान्य निर्णय और दिनांक 19.01.2015 के आदेश

द्वारा इसकी अनुमति दी।निर्वहन के विवादित आदेश को अपास्त करना दिया गया।विद्वान एकल न्यायाधीश ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक खंड पीठ के फैसले के आलोक में एक नए निर्णय के लिए संबंधित अधिकारियों को मामला भेज दिया।

एफ.

जी.

5. विद्वत एकल न्यायाधीश ने इसमें अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित विद्वान ः

“चार लाल स्याही प्रविष्टियाँ प्राप्त करने पर असम राइफल्स से आरोपमुक्त करने के मुद्दे पर इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने बलवंत सिंह बनाम भारत संघ और अन्य मामले में विचार किया था।

एच.

2011 (5) जी. एल. टी. 640 में रिपोर्ट किया गया।यह एक ऐसा मामला था जिसमें एक राइफलमैन को चार लाल स्याही प्रविष्टियां मिलने पर असम राइफल्स से छुट्टी दे दी गई थी।चार लाल स्याही प्रविष्टियों में से तीन नशे से संबंधित हैं और एक छुट्टी की अवधि से अधिक समय तक रहने से संबंधित है।डिवीजन बेंच ने रिकॉर्ड शाखा निर्देश (आरओआई) No.1/2004 के खंड-5 के प्रावधानों की जांच की।आर. ओ. आई. के खंड-5 में प्रावधान है कि अध्याय-VIII के तहत, असम राइफल्स मैनुअल पावर के नियम 24 को असम राइफल्स बटालियन के कमांडेंट को नायब सूबेदार के पद से नीचे असम राइफल्स के किसी भी सदस्य को छुट्टी देने के लिए प्रदान किया जाता है, अगर उसे चार या अधिक लाल स्याही प्रविष्टियां मिलती हैं।डिवीजन बेंच ने कहा कि खंड-5 में "चार या अधिक लाल स्याही प्रविष्टियां" अभिव्यक्ति का उपयोग और "हो सकता है" शब्द का उपयोग भी इंगित करता है कि यह निर्णय लेने के लिए विवेकाधिकार अनुशासनात्मक प्राधिकरण में निहित है कि जिस व्यक्ति को लाल स्याही प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं, उन्हें सेवा से छुट्टी दी जानी चाहिए या नहीं।यह माना गया था कि केवल इसलिए कि एक आदमी को चार लाल स्याही प्रविष्टियाँ मिलती हैं, निर्वहन स्वचालित नहीं होता है।कमान अधिकारी को निर्वहन पर विचार करने के लिए विवेकाधिकार दिया जाता है।आर. ओ. आई. के खंड-5 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने से पहले दुराचार की गंभीरता और प्रकृति को तौलना होगा।

बी.

सी.

डी.

ई.

यह कानून में एक तय स्थिति है कि जब कोई विवेकाधिकार किसी विशेष शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी प्राधिकरण में निहित होता है, तो उसका प्रयोग उचित परिश्रम के साथ और उचित और तर्कसंगत तरीके से किया जाना आवश्यक है।चूँकि निर्वहन का क्रम और इस तरह के निर्वहन से पहले की प्रक्रिया एक संक्षिप्त प्रकृति की है, इसलिए यह आवश्यक है कि निर्वहन का क्रम एक बोलने वाला आदेश हो और यह इंगित करना चाहिए कि प्राधिकरण ने विवेकाधीन शक्ति का उपयोग कैसे और किस तरीके से किया।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों के समर्थन में प्राधिकरण द्वारा कारण देने की आवश्यकता और महत्व को बार-बार दोहराया है।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण या यहां तक कि पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले एक प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश का चेहरा बोलना चाहिए। प्रभावित पक्ष को यह पता होना चाहिए कि प्रतिकूल आदेश पारित करने से पहले उसके मामले या बचाव पर कैसे विचार किया गया था।तीन विवादित आदेशों पर वापस आते हुए, यह स्पष्ट है कि किसी भी आदेश से यह खुलासा नहीं होता है कि याचिकाकर्ताओं की प्रतिक्रियाएँ कैसे ए थीं।

एफ.

जी.

एच.

231

अमरेंद्र कुमार पांडे बनाम भारत और हमारा संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

विचार किया गया और निर्वहन क्यों आवश्यक था।जैसा कि डिवीजन बेंच ने सिर्फ इसलिए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने चार लाल स्याही प्रविष्टियां की हैं, इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि उन्हें असम राइफल्स से छुट्टी दे दी जाए।जैसा कि डिवीजन बेंच द्वारा इंगित किया गया है, निर्वहन करने की शक्ति के साथ निहित प्राधिकरण को संबंधित व्यक्ति की प्रतिक्रिया की जांच करनी चाहिए और कदाचार की गंभीरता की तुलना में उसी का वजन करना चाहिए जिसके कारण सर्विस रोल में लाल स्याही प्रविष्टियां हुईं।इस तरह की जांच विवादित आदेशों से स्पष्ट नहीं है।

बी.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि आरोपमुक्त करने के विवादित आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता है।तदनुसार, याचिकाकर्ताओं के आरोपमुक्त करने के आदेशों को अपास्त करना दिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है।बलवंत सिंह (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के फैसले और ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में मामले को नए फैसले के लिए

प्रतिवादियों को वापस भेज दिया जाता है।प्रत्यर्थी संगठन और याचिकाकर्ताओं के हितों को संतुलित करते हुए याचिकाकर्ताओं पर कोई भी कम सजा लगाने पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते याचिकाकर्ताओं की शारीरिक क्षमता का आकलन किया जा सके।

सी.

डी.

लिखित याचिकाओं को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है।कोई लागत नहीं।"

ई.

6. भारत संघ ऊपर निर्दिष्ट विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से असंतुष्ट होने के कारण गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट अपील दायर करके इसे चुनौती दी।डिवीजन बेंच ने भारत संघ द्वारा दायर रिट अपील को स्वीकार कर लिया और इस तरह ऊपर निर्दिष्ट विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश अपास्त करना कर दिया।अपील न्यायालय ने भारत संघ द्वारा दायर रिट अपील को स्वीकार करते हुए अनिवार्य रूप से यह विचार रखा कि न तो असम राइफल्स अधिनियम, 1941 जिसके तहत निर्वहन का निर्णय लिया गया था और न ही असम राइफल्स अधिनियम, 2006 के तहत प्राधिकरण को किसी भी कारण या संतुष्टि को दर्ज करने की आवश्यकता है।अपील न्यायालय ने आर. ओ. आई. 1/2004 के खंड 5 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए यह विचार रखा कि कमांडेंट को चार या अधिक लाल स्याही प्रविष्टियों वाले व्यक्ति को छुट्टी देने का विवेकाधिकार है।बस इतना ही आवश्यक है कि व्यक्ति को स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के लिए एक नोटिस दिया जाए।खंड 5 के प्रावधान में कमांडेंट को निर्वहन के क्रम में संतुष्टि के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

एफ.

जी.

एच.

7. उच्च न्यायालय के अपील न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश से असंतुष्ट होने के कारण, इसमें अपीलार्थी (मूल रिट याचिकाकर्ता) वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष है।

प्रस्तुतियाँः

8. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत विद्वान कि उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है।वह प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में बाधा डालने के लिए अपील न्यायालय के लिए कोई उचित कारण नहीं था।

बी.

9. विद्वान वकील ने अपनी प्रस्तुतियों को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत विद्वान है

सी.

इसके अंतर्गतः

(क) चार लाल प्रविष्टियों के बाद भी निर्वहन अनिवार्य नहीं है।(ख) बड़े गलत आचरण और छोटे गलत आचरण के मामलों में अंतर होता है।

डी.

(ग) निर्वहन के क्रम में कोई कारण नहीं बताया गया है।(घ) प्राधिकरण के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण याचिका पर विचार नहीं किया गया है।

10. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने इस न्यायालय का ध्यान 1999 के अभिलेख कार्यालय निर्देश संख्या 4 की ओर आकर्षित विद्वान जो असम राइफल्स के कर्मियों की सेवा से छुट्टी/सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया प्रदान करता है।वही इस प्रकार पढ़ता हैः

ई.

अभिलेख कार्यालय निर्देश **NO.4/99**

सर्विस असम राइफल्स पर्सनल से वितरण/सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया

एफ.

1. एक व्यापक निर्देश, जिसमें इस विषय पर सभी मौजूदा आदेश शामिल हैं, सभी संबंधित लोगों द्वारा मार्गदर्शन और सख्त अनुपालन के लिए इस आरओआई के रूप में संकलित किया गया है।

***** ***** *****

जी.

***** ***** *****

***** ***** *****

6. असम राइफल्स नियमावली के नियम 24 के अवांछनीय/अक्षम कार्मिक अध्याय VIII का निर्वहन/निपटान

एच.

233

अमरेंद्र कुमार पांडे बनाम भारत और हमारा संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

असम राइफल्स बटालियन के कमांडेंट को एन. बी./सब के पद से नीचे के असम राइफल्स के किसी भी सदस्य को 'बर्खास्त' या 'हटाने' की शक्ति। इस शक्ति का उपयोग एक कमांडेंट द्वारा उस स्थिति में किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति को चार लाल स्याही प्रविष्टियाँ मिली हों। हालाँकि, जहाँ तक संभव हो, इस प्रावधान के तहत छुट्टी से बचा जाना चाहिए क्योंकि इस खाते से छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारी पेंशन के पात्र नहीं हैं।यदि इस प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को आरोपमुक्त करने के लिए भेजना आवश्यक है, तो उस व्यक्ति को अपने मामले को समझाने का अवसर देने के लिए एक नोटिस दिया जाएगा।डी. आई. जी. ए. आर. की मंजूरी के लिए व्यक्ति से प्राप्त नोटिस और जवाब के साथ पूरा मामला रेंज मुख्यालय को भेजा जाएगा। दस्तावेजों को इस निदेशालय रिकॉर्ड (डॉक)/यूपीएओ (और व्यक्ति को डिपो कॉय (नंबर 1 कॉन्स्टर कॉय)) को भेजा जाएगा।

बी.

सी.

11. विद्वान वकील ने असम राइफल्स नियमावली की ओर भी इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित विद्वान ।असम राइफल्स नियमावली का प्रासंगिक खंड इस प्रकार हैः

डी.

असम राइफल्स मैनुअल

“24. एक कमांडेंट असम राइफल्स के जमादार के पद से नीचे के किसी भी सदस्य को बर्खास्त कर सकता है।

"बर्खास्तगी" शब्द अपमान के साथ हटाए गए अधिकारी के मामले तक ही सीमित होना चाहिए। अन्य मामलों में

ई.

“"रिमूवल" उपयोग किया जाने वाला उचित शब्द है।एक "भ्रष्ट" अधिकारी को फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

बर्खास्तगी अंतिम संसाधन है, और सामान्य रूप से तब तक आदेश नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि सजा के अन्य सभी साधनों की कोशिश नहीं की जाती और वे विफल नहीं हो जाते। अधर्मी अपराधियों के लिए; पुष्ट बुरे चरित्र, पुष्ट शराबी, नैतिक अपमान, धोखाधड़ी और बेईमानी, निरंतर और जानबूझकर अवज्ञा या उपेक्षा से जुड़े अपराधों के लिए, यह आम तौर पर एकमात्र उपयुक्त सजा है।

एफ.

जी.

12. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का मुख्य तर्क यह है कि चार लाल प्रविष्टियों के बाद सेवा से निर्वहन स्वचालित या अनिवार्य नहीं है।चार लाल प्रविष्टियाँ केवल एक न्यूनतम आवश्यकता है और आदेश निर्वहन के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकती हैं।यह तर्क दिया जाता है कि नियम स्वयं कहता है कि शक्ति को "लागू किया जा सकता है" और "के रूप में

एच.

हालाँकि, जहाँ तक संभव हो, इस प्रावधान के तहत निर्वहन से बचा जाना चाहिए क्योंकि इस खाते से निर्वहन पर भेजे गए कार्मिक पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं।निवेदन यह है कि प्रावधान को केवल तभी लागू किया जा सकता है जब "निरंतर और जानबूझकर अवज्ञा या उपेक्षा" रिकॉर्ड पर आती है।

13. विद्वान वकील ने अपनी उपरोक्त प्रस्तुति को मजबूत करने की दृष्टि से इस न्यायालय के निर्णयों पर दृढ़ता से भरोसा विद्वान

बी.

विरेन्द्र कुमार दुबे बनाम सेनाध्यक्ष और अन्य, (2016) 2 एस. सी. सी. 627, और विजय शंकर मिश्रा बनाम भारत संघ और अन्य का मामला।

(2017) 1 क्रमशः एस. सी. सी. 795।14. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वकील प्रार्थना करता है कि उसकी अपील में योग्यता होने के कारण इसकी अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को आरोपमुक्त करने के आदेश सहित अपास्त करना दिया जाए और अपीलार्थी को सभी पूर्ण वेतन और अन्य सभी वैधानिक लाभों के साथ सेवा में बहाल करने का आदेश दिया जाए।

सी.

डी.

15. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने इस अपील का जोरदार विरोध विद्वान है।विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश पारित करने में कानून की किसी भी त्रुटि की बात न करने में कोई त्रुटि नहीं कही जा सकती है। वह प्रस्तुत करेगी कि उच्च न्यायालय का यह विचार पूरी तरह से उचित था कि संबंधित प्राधिकारी के लिए आरोपमुक्त करने का आदेश पारित करने के उद्देश्य से कोई कारण बताना आवश्यक नहीं था।चार लाल स्याही प्रविष्टियाँ प्राधिकरण के लिए इस व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचने के लिए पर्याप्त थीं कि इसमें अपीलार्थी सेवा में बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं था और विशेष रूप से असम राइफल के साथ एक राइफलमैन होने के नाते।

ई.

एफ.

16. यह तर्क दिया जाता है कि आरोपमुक्त करने का आदेश पारित करने से पहले, अपीलार्थी को कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया था और उसे सुनवाई का अवसर दिया गया था।

17. विद्वान वकील ने कहा कि अपीलार्थी ने जो कुछ भी विद्वान वह अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना था।कारण बताओ नोटिस के उनके जवाब में कोई अन्य आधार नहीं उठाया गया, सिवाय इसके कि वह एक गरीब परिवार से हैं और उनके माता-पिता और बच्चे उन पर निर्भर हैं। जवाब को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्राधिकारी ने उचित रूप से यह राय बनाई कि अपीलार्थी एक आदतन अपराधी था।उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के पैरा 6 की ओर आकर्षित किया, जिसमें उच्च न्यायालय ने

जी.

एच.

235

अमरेंद्र कुमार पांडे बनाम भारत और हमारा संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

न्यायालय ने नोट किया है कि अपीलार्थी पारिवारिक परिस्थितियों को छोड़कर कारणदर्शक नोटिस के जवाब में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है।18. विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत विद्वान कि इस निर्णय का

भारत संघ बनाम बलवंत सिंह के मामले में न्यायालय, (2015) 14 एस. सी. सी.

389, विरेन्द्र कुमार दुबे **(**ऊपर**)** के मामले में संदर्भित नहीं किया गया है।

बी.

19. अंतिम में विद्वान वकील ने निर्णय पर भरोसा रखा

सतगुर सिंह बनाम यू. ओ. आई. और अन्य के मामले में इस न्यायालय ने

(2019)9 एस. सी. सी. 205, विशेष रूप से, क्रमशः पैरा 6 और 7 में की गई टिप्पणियाँ।पैरा 6 और 7 क्रमशः इस प्रकार हैंः

सी.

“6. हम वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।सर्कुलर दिनांक 28-12-1988 का पैरा 5 (ए) एक ऐसी जांच से संबंधित है जो एक सैन्यकर्मी के खिलाफ आरोपों की न्यायालय ऑफ इन्क्वायरी नहीं है।इस तरह की जांच विभागीय जांच की तरह नहीं है, बल्कि दायर किए गए जवाब को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया की झलक है।न्यायालय ऑफ इन्क्वायरी को विशेष रूप से बाहर रखा गया है।किस तरह की जांच की आवश्यकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।जाँच एक नियमित जाँच नहीं है क्योंकि सेना के निर्देशों के पैरा 5 (ए) से पता चलता है कि यह एक प्रारंभिक जाँच है।यदि किसी कार्मिक का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है और उस पर विचार किया जाता है, और उस पर आदेश पारित किया जाता है, तो प्रारंभिक जांच का परीक्षण संतुष्ट होगा।वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने अस्पष्ट पारिवारिक परिस्थिति के अलावा दायर किए गए उत्तर में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।इस प्रकार, उन्हें अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है।इसलिए, दिनांकित 28-12-1988 सैन्य निर्देशों के पैरा 5 (ए) में निर्धारित मापदंड संतुष्ट हैं।7. कारण दर्शाओ नोटिस के जवाब में, अपीलार्थी ने सात मौकों पर ड्यूटी से अपनी अनुपस्थिति का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।उन्हें प्रत्येक अवसर पर 2 दिन से लेकर 28 दिन तक के सश्रम कारावास की सजा दी गई है।सशस्त्र बलों का कोई सदस्य अपने कर्तव्य को हल्के में नहीं ले सकता है और अपनी इच्छा से कर्तव्य से दूर नहीं रह सकता है।चूंकि कर्तव्य की अनुपस्थिति कई अलग-अलग अवसरों पर थी जिसके लिए उन्हें कारावास की सजा दी गई थी, इसलिए निर्वहन के आदेश को अनुचित नहीं कहा जा सकता है।कमांडिंग ऑफिसर ने दर्ज किया है कि अपीलार्थी आदतन अपराधी है।इस तरह

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

सात अवसरों पर कर्तव्य से अपीलार्थी की अनुपस्थिति तथ्य का समर्थन करती है।"

20. ऐसी परिस्थितियों में उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रार्थना करते हैं कि इस अपील में कोई योग्यता नहीं होने के कारण इसे खारिज विद्वान जा सकता है।

बी.

विश्लेषण

21. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, हमारे विचार के लिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विवादित आदेश पारित करने में कोई त्रुटि की है?

सी.

22. हमें पहले विरेंद्र कुमार दुबे (उपरोक्त) के मामले में दिए गए इस न्यायालय के फैसले पर गौर करना चाहिए।उक्त मामले में, अपीलार्थी विरेंद्र कुमार दुबे को 27.09.1980 पर भारतीय सेना के तोपखाने के दल में एक संचालक के रूप में नामांकित किया गया था।लगभग बारह वर्षों तक उस क्षमता में सेवा करने के बाद, उन्हें एक कारण बताएँ नोटिस मिला जिसमें कहा गया था कि उन्हें नोटिस में निर्धारित विभिन्न अपराधों के लिए चार लाल स्याही प्रविष्टियां दी गई थीं और विरेंद्र कुमार दुबे एक आदतन अपराधी बन गए थे, जिससे सेना में अनुशासनहीनता का एक बुरा उदाहरण स्थापित हुआ।विरेंद्र कुमार दुबे को अंततः 14.12.1992 के एक आदेश द्वारा सेवा से छुट्टी दे दी गई।उन्होंने एक विभागीय अपील को प्राथमिकता दी, जो विफल रही।इसके बाद वे जबलपुर में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय गए, लेकिन उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।इसके बाद उन्होंने अपील न्यायालय के समक्ष अपील की और रिट अपील को अंततः सशस्त्र बल न्यायाधिकरण क्षेत्रीय पीठ, लखनऊ में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया।न्यायाधिकरण ने अंततः स्थानांतरित याचिका को खारिज कर दिया जिसने इस न्यायालय के समक्ष अपील को जन्म दिया।

डी.

ई.

एफ.

23. विरेन्द्र कुमार दुबे (ऊपर) मामले में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"19. यह आम आधार है कि एक व्यक्ति द्वारा एक सप्ताह या छह महीने के लिए अधिक समय तक रहने के लिए लाल स्याही प्रविष्टि अर्जित की जा सकती है।दोनों ही मामलों में प्रविष्टि एक लाल स्याही प्रविष्टि है और निर्वहन के मामले में विचार के लिए योग्य होगी।यदि अपराध की

गंभीरता अलग होने के बावजूद दो व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, तो यह अनुचित होगा और असमान लोगों के लिए अन्यायपूर्ण को समान नहीं माना जा सकता है।इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यक्ति जिसे गंभीर दुराचार पर ऐसी चार प्रविष्टियों का सामना करना पड़ा है, वह निर्वहन ए से बच सकता है।

जी.

एच.

237

अमरेंद्र कुमार पांडे बनाम भारत और हमारा संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

एक अन्य व्यक्ति जिसने अपेक्षाकृत कम अपराधों के लिए ऐसी प्रविष्टियाँ अर्जित की हैं, उन्हें समय से पहले घर जाने के लिए कहा जा सकता है।ऐसी किसी भी स्थिति में अन्याय न्याय की विफलता को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय लाना आवश्यक बनाता है।वर्तमान मामले में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय ठीक यही करना चाहते हैं।"

बी.

उपरोक्त दृष्टिकोण को लेते हुए, इस न्यायालय ने अंततः निम्नलिखित पारित कियाः

आदेशः

"21. परिणामस्वरूप यह अपील सफल हो जाती है और इसके द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है।अपीलार्थी के खिलाफ पारित आरोपमुक्त करने का आदेश इसके द्वारा अपास्त करना कर दिया जाता है।चूँकि अपीलार्थी पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु को पार कर चुका है, इसलिए न्याय का हित पर्याप्त रूप से पूरा किया जाएगा यदि हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी को तब तक सेवा में माना जाएगा जब तक कि वह पेंशन देने के लिए योग्यता सेवा पूरी नहीं कर लेता। हालाँकि, कोई वापस मजदूरी स्वीकार्य नहीं होगी।अपीलार्थी को पेंशन सहित अन्य सभी उद्देश्यों के लिए सेवा की निरंतरता का लाभ दिया जाएगा।अपीलार्थी को देय मौद्रिक लाभ शीघ्रता से जारी किए जाएंगे, लेकिन इस आदेश की तारीख से चार महीने के बाद नहीं।कोई लागत नहीं।"

सी.

डी.

24. विजय शंकर मिश्रा (ऊपर) में, उसमें अपीलार्थी को 23.06.1984 पर सेना चिकित्सा कोर में नामांकित किया गया था।आई. डी. 1 पर, उन्हें कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था कि उन्हें सेना नियम, 1954 के नियम 13 (3) तालिका (III) (v) के तहत इस आधार पर सेवा से छुट्टी क्यों नहीं दी जानी चाहिए कि उनका आचरण और सेवा संतोषजनक

नहीं पाई गई थी।अंततः उन्हें सेवा से छुट्टी दे दी गई।उस समय तक उन्होंने तेरह साल और आठ महीने की सेवा प्रदान कर दी थी।सेना के लिए पेंशन विनियम, 1961 के नियम 132 के तहत पेंशन अर्जित करने के लिए न्यूनतम योग्यता सेवा पंद्रह वर्ष है।उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसे 21.11.2006 पर खारिज कर दिया गया।अपील में, एक खंड पीठ ने अपीलार्थी के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, पेंशन के लिए उनके दावे को इस आधार पर खारिज करते हुए एक आदेश जारी किया गया था कि उन्होंने पंद्रह साल की सेवा नहीं की थी और उन्हें इस कारण से छुट्टी दे दी गई थी कि उनके एक कुशल सैनिक बनने की संभावना नहीं थी।उन्होंने फिर से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में स्थानांतरित कर दिया गया।ट्रिब्यूनल ने मामले को खारिज कर दिया।इसके बाद मिश्रा इस न्यायालय के सामने आए।बिलकुल वैसा ही

ई.

एफ.

जी.

एच.

विजय शंकर मिश्रा की ओर से इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया गया कि केवल यह तथ्य कि उन्हें छह लाल प्रविष्टियों सहित नौ अवसरों पर सेवा में रहते हुए दंडित किया गया था, निर्वहन के उद्देश्य से प्रासंगिक नियम के तहत शक्ति का प्रयोग करने का कोई आधार नहीं था।न्यायालय ने विजय शंकर मिश्रा (ऊपर) पर भरोसा किया और अंततः निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

बी.

“9. वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि अधिकारियों द्वारा नियम 13 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय उन परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया गया था जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। केवल यह तथ्य कि अपीलार्थी ने चार लाल प्रविष्टियों की सीमा को पार कर लिया था, अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार किए बिना उसे आरोपमुक्त करने का आधार नहीं हो सकता था, जिनमें शामिल हैंः(i) उल्लंघन की प्रकृति जिसके कारण लाल स्याही प्रविष्टियों का पुरस्कार दिया गया; (ii) क्या अपीलार्थी को कठिन स्टेशनों में कर्तव्य और कठिन जीवन स्थितियों के संपर्क में लाया गया था; (iii) लंबे वर्षों की सेवा, जो पेंशन के लिए योग्यता अवधि को पूरा करने से ठीक कम थी।मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा परिपत्र के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए

विशेष रूप से उनके मामले पर विचार करने का निर्देश देने के बाद भी, प्रासंगिक कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया था।26-2-2007 पर पारित आदेश प्रासंगिक और सामान्य परिस्थितियों पर विचार करने में विफल रहा और यह सेना मुख्यालय के दिनांकित 28-12-1988 के पत्र और दिनांकित 10-01-1989 के परिपत्र की आवश्यकताओं के लिए विवेक के उचित अनुप्रयोग का संकेत नहीं देता है।

सी.

डी.

ई.

10. इन कारणों से, हमारा विचार है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने आवेदन को अस्वीकार करने में गलती की थी।न्यायाधिकरण के दिनांक 23-9-2010 विजय शंकर मिश्रा बनाम भारत संघ, 2010 SCC ऑनलाइन AFT 1127 और 15-9-2011 के आदेशों को अपास्त करना दिया गया है।चूंकि अपीलार्थी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर चुका होगा, इसलिए न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा यदि यह माना जाता है कि वह तब तक सेवा में रहा है जब तक कि वह पेंशन देने के लिए योग्यता सेवा पूरी नहीं कर लेता।हालांकि कोई वापस मजदूरी स्वीकार्य नहीं होगी।पेंशन सहित अन्य सभी उद्देश्यों के लिए सेवा की निरंतरता का लाभ अपीलार्थी को दिया जाएगा।अपीलार्थी को देय मौद्रिक लाभ इस आदेश की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर जारी किए जाएंगे।"

एफ.

जी.

एच.

239

अमरेंद्र कुमार पांडे बनाम भारत और हमारा संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

ए.

25. उपरोक्त दोनों निर्णयों में, इस न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि नियमों के नियम 13 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय ध्यान में रखे गए प्रासंगिक पहलुओं पर प्राधिकरण द्वारा कोई विचार नहीं किया गया था।उपरोक्त दोनों मामलों में, इस न्यायालय ने यह विचार रखा कि केवल इस तथ्य को कि कार्मिक ने कुछ लाल स्याही प्रविष्टियों की सीमा को पार कर लिया था, अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार किए बिना उन्हें निर्वहन करने का आधार नहीं बनाया जा सकता था, विशेष रूप से, उल्लंघन की प्रकृति जिसके कारण लाल स्याही प्रविष्टियों का पुरस्कार दिया गया था।विरेंद्र कुमार दुबे (उपरोक्त) पर मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुपात का सार यह है कि प्राधिकरण द्वारा शक्ति के मनमाने प्रयोग के खिलाफ एकमात्र सुरक्षा

यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रक्रिया के तहत प्रासंगिक बनाए गए कारकों पर विचार करने के अलावा व्यक्ति द्वारा स्थापित बचाव के बारे में एक संक्षिप्त और निष्कर्ष हो।

बी.

सी.

26. सतगुर सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर प्रत्यर्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा रखी गई निर्भरता का कोई फायदा नहीं है।यह एक ऐसा मामला था जिसमें अपीलार्थी सात मौकों पर कर्तव्य से अपनी अनुपस्थिति का कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहा। तथ्यों पर, इस न्यायालय का विचार था कि चूंकि कर्तव्य से अनुपस्थिति कई अलग-अलग अवसरों पर थी जिसके लिए उन्हें कारावास की सजा दी गई थी, इसलिए आरोपमुक्त करने के आदेश को अनुचित नहीं कहा जा सकता है।27. हम उपरोक्त बात को थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं।

डी.

ई.

28. जहां किसी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए वैधानिक नियमों ने संबंधित प्राधिकारी की राय पर निर्भर किसी कार्रवाई को छोड़ दिया है, किसी ऐसी अभिव्यक्ति द्वारा कि 'संतुष्ट है' या 'राय की है' या 'यदि उसके पास विश्वास करने का कारण है' या 'यदि यह आवश्यक समझा जाता है', तो प्राधिकरण की राय निर्णायक है, (ए) यदि अधिनियम या राय बनाने के लिए नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया था, (बी) यदि प्राधिकरण ने ईमानदारी से काम किया, (सी) यदि प्राधिकरण ने स्वयं राय बनाई और किसी और की राय नहीं ली और (डी) यदि प्राधिकरण ने कानून और उस मामले के बारे में मौलिक गलत धारणा पर आगे नहीं बढ़ा, जिसके बारे में राय बनाई जानी थी।

एफ.

जी.

29. व्यक्तिपरक राय या संतुष्टि के आधार पर कार्रवाई की, हमारी राय में, पहले न्यायिक रूप से समीक्षा की जा सकती है ताकि उन तथ्यों या परिस्थितियों के अस्तित्व का पता लगाया जा सके जिनके आधार पर प्राधिकरण ने राय बनाई है।यह सच है कि आम तौर पर न्यायालय को तथ्यों की शुद्धता या अन्यथा की जांच नहीं करनी चाहिए, सिवाय इसके कि

एच.

जहां यह आरोप लगाया जाता है कि जो तथ्य मौजूद पाए गए हैं, वे किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थे या परिस्थितियों या सामग्री के संबंध में निष्कर्ष इतना विकृत है कि कोई भी उचित व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि तथ्य और परिस्थितियाँ मौजूद हैं।अदालतें कानून या तथ्य के अस्तित्व के बारे में प्राधिकरण की राय की निर्णायकता को आसानी से टाल नहीं पाएंगी, जिस पर शक्ति के प्रयोग की वैधता की भविष्यवाणी की गई है।

बी.

30. इस प्रकार तर्कसंगतता के सिद्धांत का आह्वान किया जा सकता है।जहां प्राधिकरण की राय के गठन के लिए कोई उचित आधार नहीं हैं, ऐसे मामले में न्यायिक समीक्षा की अनुमति है। [लोक अभियोजन निदेशक बनाम हेड, (1959) एसी 83 (लॉर्ड डेनिंग) देखें।

सी.

31. जब हम कहते हैं कि जहां राय बनाने के लिए परिस्थितियां या सामग्री या स्थिति बिल्कुल भी मौजूद नहीं है और ऐसी राय पर आधारित कार्रवाई को अदालतों द्वारा रद्द किया जा सकता है, तो हमारा मतलब है कि वास्तव में राय बनाने या समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। साक्ष्य की अपर्याप्तता या अपर्याप्तता और किसी भी साक्ष्य के बीच के अंतर को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।बिना किसी साक्ष्य के आधार पर एक निष्कर्ष जो केवल साक्ष्य के भार के खिलाफ है, उस शक्ति का दुरुपयोग है जिसे अदालतें स्वाभाविक रूप से बर्दाश्त करने के लिए अनिच्छुक हैं।किसी विशेष निर्णय का समर्थन करने के लिए सबूत है या नहीं, इसे हमेशा कानून का सवाल माना गया है।[रेग. वी. देखें।राज्यपाल

डी.

ब्रिक्स्टन प्रिज़न, आरमाह, एक्स पार्टी, (1966) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 828 पी.841].

ई.

32. ऐसा कहा जाता है कि प्राधिकरण ने अपना दिमाग नहीं लगाया है या उसने ईमानदारी से अपनी राय नहीं बनाई है।यही निष्कर्ष तब निकाला जाता है जब राय अप्रासंगिक मामले पर आधारित होती है।

[रासबिहारी बनाम उड़ीसा राज्य, ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 1081 देखें।]33. रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में बनामएस. डी. अग्रवाल और

एफ.

एक अन्य**,** ए**.** आई**.** आर**. 1969** एस**.** सी**. 707,** में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि परिस्थितियों का अस्तित्व सरकार द्वारा एक राय बनाने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है।यही विचार पहले बेरियम केमिकल्स के मामले में भी व्यक्त किया गया था।

लिमिटेड और एक अन्य बनाम कंपनी लॉ बोर्ड और अन्य, ए. आई. आर. 1967 एस. सी.

295 .

जी.

34. दूसरा, न्यायालय यह जांच कर सकता है कि क्या इस प्रकार पाए गए तथ्यों और परिस्थितियों का उस उद्देश्य के साथ उचित संबंध है जिसके लिए शक्ति का प्रयोग किया जाना है।दूसरे शब्दों में, यदि तथ्यों से कोई निष्कर्ष तार्किक रूप से सहमत नहीं है और उनसे प्रवाहित नहीं होता है, तो अदालतें उन्हें कानून की त्रुटि के रूप में मानते हुए हस्तक्षेप कर सकती हैं।[बीन बनाम डोनकास्टर ए देखें।

एच.

241

अमरेंद्र कुमार पांडे बनाम भारत और हमारा संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

समामेलित कोलियरीज, (1944) 2 सभी ई. आर. 279 पी.284].इस प्रकार यह

न्यायालय यह देख सकता है कि क्या पाए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, कोई भी उचित व्यक्ति यह कह सकता है कि जो राय बनाई गई है वह एक उचित व्यक्ति द्वारा बनाई जा सकती है।यह तय किया जाने वाला कानून का सवाल होगा।

न्यायालय द्वारा।[किसान बनाम कपास न्यासी, 1915 ए. सी. 922 देखें]।उनके

लॉर्डशिप्स ने देखाः

बी.

“.....मेरे विनम्र निर्णय में जहां सभी भौतिक तथ्य पूरी तरह से पाए जाते हैं, और एकमात्र सवाल यह है कि क्या तथ्य ऐसे हैं जो मामले को किसी वैधानिक अधिनियम के उचित रूप से व्याख्या किए गए प्रावधानों के भीतर लाते हैं, सवाल केवल कानून का है।”

सी.

[मुथु गौंडर बनाम मद्रास सरकार, (1969) भी देखें।

82 पागल एलडब्ल्यू 1]।

35. तीसरा, यह न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है यदि शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक संवैधानिक या वैधानिक शब्द का या तो गलत उपयोग किया गया है या गलत व्याख्या की गई है। न्यायालयों ने हमेशा अधिकार क्षेत्र की समीक्षा को कानून की त्रुटि के लिए समीक्षा के साथ तुलना की है और संवैधानिक या वैधानिक शब्द के अर्थ को गलत तरीके से समझने या गलत

तरीके से लागू करने पर किसी आदेश को रद्द करने के लिए अपनी तैयारी दिखाई है।[इवेघ (अर्ल ऑफ) बनाम मंत्री देखें।

डी.

आवास और स्थानीय सरकार**, (1962) 2** क्यू**.** बी**. 147;** इवेघ **(**अर्ल ऑफ**)** बनाम आवास और स्थानीय सरकार मंत्री। **(1964) 1** एबी **395]**।

ई.

36. चौथा, ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति है जहां अनुचित उद्देश्य के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है।यदि एक उद्देश्य के लिए दी गई शक्ति का प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि शक्ति का वैध रूप से प्रयोग नहीं किया गया है।यदि इस मामले में शक्ति का उपयोग वास्तव में तत्काल कार्रवाई करने के उद्देश्य से नहीं किया गया है, लेकिन इसका उपयोग केवल शर्मिंदगी से बचने या व्यक्तिगत प्रतिशोध को नष्ट करने के लिए किया गया है, तो शक्ति को माना जाएगा

एफ.

अनुचित तरीके से प्रयोग किया।[नटेसा असारी बनाम मद्रास राज्य, ए. आई. आर. 1954 देखें।

मैड 481]।37. पाँचवाँ, वे आधार जो उस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं जिसके लिए शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, उन पर विचार नहीं किया गया है या ऐसे आधार जो प्रासंगिक नहीं हैं और अभी तक विचार किया जाता है और एक आदेश ऐसे आधारों पर आधारित है, तो आदेश को अमान्य और अवैध के रूप में हमला किया जा सकता है।इस संबंध में राम मनोहर बनाम राज्य का उल्लेख किया जा सकता है।

जी.

बिहार, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 740; द्वारका दास बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 164 पी.168 और मोतीलाल बनाम बिहार राज्य, ए. आई. आर 1968 एस. सी.

एच.

1509. इसी सिद्धांत पर, प्रशासनिक कार्रवाई अमान्य हो जाएगी यदि यह स्थापित किया जा सकता है कि प्राधिकरण गलत प्रश्न पर संतुष्ट थाः[देखें (1967) 1 ए. सी. 13]।

38. इस स्तर पर, असम राइफल्स विनियमन, 2016 का उल्लेख करना उचित हो सकता है। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि ये विनियम मामले पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि आरोपमुक्त करने का आदेश 2004 का है।तथापि, हम सुसंगत विनियमों को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं, विशेष रूप से, क्रमशः 107 (ग) और 108, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि ये विनियम विरेंद्र कुमार दुबे (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुपात को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित और लागू किए गए थे।विनियम 107 (सी) इस प्रकार हैः

बी.

सी.

"107. अवांछनीय**,** अक्षम और अक्षम अधीनस्थ अधिकारियों**,** अधीनस्थ अधिकारियों और अन्य नामांकित व्यक्तियों को हटाना।

(ए)।

डी.

(बी)।

(ग) अनुपयुक्त अधीनस्थ अधिकारी/अधीनस्थ अधिकारी/नामांकित व्यक्ति की बर्खास्तगी/निर्वहन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

(i) जैसा कि असम राइफल्स नियमों के नियम 24 और 25 के तहत प्रदान किया गया है, संबंधित व्यक्ति को, उसमें उल्लिखित अपवाद के अधीन, विचारित कार्रवाई के खिलाफ कारण दिखाएँ नोटिस दिया जाएगा।

ई.

((ii) प्रारंभिक जांच।किसी व्यक्ति को आरोपमुक्त करने या बर्खास्त करने की सिफारिश करने से पहले संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके खिलाफ आरोपों की निष्पक्ष जांच (जरूरी नहीं कि न्यायालय ऑफ इन्क्वायरी) की गई हो और उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिला हो।

एफ.

(iii) असम राइफल्स का नियम 24 असम राइफल्स इकाइयों/प्रतिष्ठान के कमांडेंटों को असम राइफल्स के किसी भी अधीनस्थ अधिकारी/अवर अधिकारी/नामांकित व्यक्तियों को छुट्टी देने की शक्तियां प्रदान करता है।हालांकि, कमांडेंट द्वारा निर्वहन की शक्ति का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों और अन्य नामांकित व्यक्ति के मामले में सेक्टर कमांडर से नीचे के तत्काल वरिष्ठ अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारियों के मामले में महानिरीक्षक असम राइफल्स के पूर्व अनुमोदन के साथ किया जाएगा।

जी.

एच.

243

अमरेंद्र कुमार पांडे बनाम भारत और हमारा संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.] ए.

ए.

((iv) ऊपर बताए गए प्रावधानों के अनुपालन के बाद, व्यक्ति को अपने मामले को समझाने का अवसर देने के लिए एक कारण बताएँ नोटिस जारी किया जाएगा।इसके बाद, पूरी केस फाइल को वरिष्ठ प्राधिकारी/सेक्टर कमांडर की मंजूरी के लिए अगले वरिष्ठ प्राधिकारी/सेक्टर मुख्यालय को भेजा जाएगा।

बी.

(v) व्यक्ति की बर्खास्तगी/आरोपमुक्त करने की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कारण बताए जाने के नोटिस के व्यक्तिगत जवाब के आलोक में आदेश पारित करने से पहले मामले पर फिर से विचार करेगा।एक व्यक्ति जिसे प्रस्तावित बर्खास्तगी के लिए कारणदर्शक नोटिस दिया गया है, उसे आरोपमुक्त करने का आदेश दिया जा सकता है यदि यह माना जाता है कि आरोपमुक्त करने से न्याय का अंत होगा।यदि सक्षम प्राधिकारी कारणदर्शक नोटिस पर व्यक्ति के जवाब को पूरी तरह से संतोषजनक रूप से स्वीकार करता है, तो वह तदनुसार आदेश पारित करेगा।

सी.

108. लाल स्याही प्रविष्टियों के आधार पर निर्वहन।एक अधीनस्थ

अधिकारी, अवर अधिकारी या अन्य नामांकित व्यक्ति जिसने चार या अधिक लाल स्याही प्रविष्टियाँ की हैं, उन्हें अनुपयुक्तता के आधार पर सेवा से छुट्टी के लिए अनुशंसित किया जा सकता है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैः-

डी.

(क) एक व्यक्ति द्वारा तीन लाल स्याही प्रविष्टियाँ अर्जित करने के बाद, उसे लिखित रूप में चेतावनी दी जाएगी कि यदि वह एक और लाल स्याही प्रविष्टि अर्जित करता है तो उसकी सेवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जाएगी।इस तरह का चेतावनी पत्र संबंधित सेक्टर कमांडर द्वारा व्यक्ति के कमांडेंट के माध्यम से उसे जारी किया जाएगा।

ई.

(ख) चार या अधिक लाल स्याही प्रविष्टियाँ अर्जित करने वाले व्यक्तियों के प्रत्येक मामले की जांच अपराधों की प्रकृति और गंभीरता और उन गंभीर परिस्थितियों के आधार पर की जाएगी जिनके तहत ये किए गए थे।इस पैरा के तहत निर्वहन को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी निर्वहन का आदेश देने या अन्यथा कारणों को दर्ज करेगा।(ग) एक व्यक्ति जिसने पेंशन के लिए अठारह साल की योग्यता सेवा दी है, उसे चार या अधिक लाल स्याही प्रविष्टियों के आधार पर

निर्वहन के लिए अनुशंसित होने से पहले पेंशन देने के लिए आवश्यक योग्यता सेवा को पूरा करने की अनुमति दी जा सकती है, जब तक कि उसके निर्वहन को मंजूरी देने के लिए मजबूर करने वाले कारण न हों।

एफ.

जी.

एच.

पेंशन के लिए योग्यता सेवा का पूरा होना, जिसे निर्वहन आदेश में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(घ) बर्खास्तगी का आदेश देने का अंतिम निर्णय लेने से पहले, संबंधित व्यक्ति को कारण बताएँ नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि सेवा में उसके बने रहने को चार या अधिक लाल स्याही प्रविष्टियां करने के लिए अवांछनीय माना जाता है, जिससे उसे यह भी कारण दिखाने के लिए कहा जाएगा कि उसे असम राइफल्स में सेवा के लिए अनुपयुक्त माने जाने के कारण सेवा से क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए।कारण दर्शाने का नोटिस मिलने के बाद व्यक्ति को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कम से कम पंद्रह दिन का समय दिया जाएगा।

बी.

सी.

(ङ) व्यक्ति का उत्तर प्राप्त होने के बाद, यदि कोई हो, तो मामला संबंधित इकाई के कमांडेंट की सिफारिशों के साथ निर्वहन को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। निर्वहन आदेश पारित करने से पहले, इस पैरा के तहत निर्वहन को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी संबंधित विधि अधिकारी की सलाह ले सकता है।

डी.

(च) इस पैरा के तहत निर्वहन का आदेश अवर अधिकारी या अन्य नामांकित व्यक्तियों के मामले में सेक्टर कमांडर से कम के अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारियों के मामले में असम राइफल्स के महानिरीक्षक/असम राइफल्स के अतिरिक्त महानिदेशक से कम के अधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा।"

ई.

39. अपीलार्थी के खिलाफ कथित कदाचार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा यदि हम आरोपमुक्त करने के आदेश को अपास्त करना देते हैं और यहाँ अपीलार्थी को उस समय तक सेवा में माना जाता है जब तक कि उसने पेंशन देने के लिए योग्यता सेवा पूरी नहीं की थी।हम पर्याप्त न्याय करने की दृष्टि से इस तरह का आदेश पारित करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि रिकॉर्ड में यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि चार लाल स्याही प्रविष्टियों के पुरस्कार के लिए दुराचार की प्रकृति इतनी अस्वीकार्य थी कि सक्षम प्राधिकारी के पास बल में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए अपने निर्वहन का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।40. एतऽ अपीलार्थी क विरुद्ध पारित आरोपमुक्तिक आदेश एतद्द्वारा अपास्त करना कऽ देल गेल अछि।अपीलार्थी को तब तक सेवा में माना जाएगा जब तक कि वह पेंशन देने के लिए योग्यता सेवा पूरी नहीं कर लेता।हमें सूचित किया जाता है कि अपीलार्थी के डिस्चार्ज होने से पहले योग्यता सेवा पूरी करने के लिए केवल छह महीने बचे थे।हालाँकि, कोई वापस मजदूरी स्वीकार्य नहीं होगी।ए की निरंतरता का लाभ

एफ.

जी.

एच.

245

अमरेंद्र कुमार पांडे बनाम भारत और हमारा संघ। [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अपीलार्थी को पेंशन सहित अन्य सभी उद्देश्यों के लिए सेवा प्रदान की जाएगी।अपीलार्थी को देय मौद्रिक लाभ शीघ्रता से जारी किए जाएंगे, लेकिन इस आदेश की तारीख से चार महीने के बाद नहीं।41. अपीलों को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी जाती है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

बी.

42. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.